

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.एस.}

115/2012

राजपैरोकार सं. 2012/00194

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर पैरोकार राज।

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. सरला देवी पत्नी रमेश कुमार जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर।
2. शारदा गर्ग पत्नी राजेश गर्ग जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर

-: अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 27.07.2012

उपस्थित अधिवक्तागण

1. राजपैरोकार सरकार।

2. श्री हेतराम अधि. प्रति.सं. 2

-: निर्णय :-

दिनांक : 29.11.2024

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक चक 22 पीएस का मु.नं. 41 के कि.नं. 5-6 में 0.506 है, व मु.नं. 42 का कि.नं. 1 में 0.253 है, 2/2 में 0.126 है, 9/2 में 0.127 है, 10-11 में 0.506 है, 12/2 में 0.126 है, 19/2 में 0.127 है, 20 से 22 में 0.259 है, 23/1 में 0.126 है. कुल रकबा 2.150 है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चौसाला में संवत् 2065-2068 में सरला देवी पत्नी रमेश कुमार, शारदा देवी गर्ग पत्नी राजेश गर्ग ब.हि.ब. कौम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर खातेदार दर्ज है। जिसका वाद न्यायालय में पेश किया गया जा चुका है। रिपोर्ट पटवारी हल्का 25 पीएस वी के अनुसार इस रकबा में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये एवं नगर नियोजक विभाग की अनुमति के बिना कॉलोनी काटकर अवैध रूप से प्लाटों का विक्रय किया है और किया जा रहा है जिसमें से अधिकांश प्लाटों का विक्रय किया जा चुका है खातेदारों द्वारा उक्त भूमि की पानी की बारी का अन्य रकबा में उपयोग किया जा रहा है। जबकि यह रकबा कॉलोनी हेतु प्लाट काटकर विक्रय किया जा चुका है जिसमें वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर बिना बैद्य स्वीकृति व रूपान्तरण राशि जमा करवाये अवैध रूप से कॉलोनी काटकर अतिचार किया जा रहा है। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो राज्य पक्ष अपूरण्य क्षति होगी। बिना किसी प्लान के अवैध कॉलोनिया का निर्माण हो जाएगा। जो आगामी विकास में बाधा बनेगी। वाद पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद अन्दर मियाद है। वाद राज्य हित में होने के कारण कोर्ट फीस शुल्क से मुक्त है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज फरमाये जायेगे। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा उपरोक्त भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण करवाये आवासी प्लाट काटकर विक्रय कर अतिचार किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि के बिना भूमि रूपान्तरण करवाये प्लाट काटकर विक्रय किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 177 की दण्डनिय होने के कारण भूमि पर अतिचार व अवैध कॉलोनी निर्माण हो रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के तहत रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित होगा। अतः वाद दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रकबा को रकबा राज घोषित किया जाकर बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान किये जायें। वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मान तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बन्द किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर




1. आया कि विवादित भूमि चक चक 22 पीएस का मु.नं. 41 के कि.नं. 5-6 में 0.506 है., व मु.नं. 42 का कि.नं. 1 में 0.253 है., 2/2 में 0.126 है., 9/2 में 0.127 है., 10-11 में 0.506 है., 12/2 में 0.126 है., 19/2 में 0.127 है., 20 से 22 में 0.259 है., 23/1 में 0.126 है. कुल रकबा 2.150 है. नहरी सरला देवी पत्नी रमेश कुमार, शारदा देवी गर्ग पत्नी राजेश गर्ग ब.हि.ब. कौम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज है।
-राजपैरोकार
 2. आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लॉटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।
 3. आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णाय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है।
-राजपैरोकार
 4. आया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध बिनाय दावा बिनाय मुख्यास्मत करने का अधिकारी नहीं है।
-प्रतिवादी
 5. आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है।
- प्रतिवादी
 6. अनुतोष।
4. साक्ष्य वादी में सरकार की तरफ से राजपैरोकार का कथन है कि दावा पत्र व पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ही साक्ष्य माने जावे। सरकार की तरफ से अन्य कोई साक्ष्य वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गये। अतः साक्ष्यवादी बन्द किया गया।
5. प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाते है।
6. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (A) आया कि विवादित भूमि चक 22 पीएस का मु.नं. 41 के कि.नं. 5-6 में 0.506 है., व मु.नं. 42 का कि.नं. 1 में 0.253 है., 2/2 में 0.126 है., 9/2 में 0.127 है., 10-11 में 0.506 है., 12/2 में 0.126 है., 19/2 में 0.127 है., 20 से 22 में 0.259 है., 23/1 में 0.126 है. कुल रकबा 2.150 है. नहरी सरला देवी पत्नी रमेश कुमार, शारदा देवी गर्ग पत्नी राजेश गर्ग ब.हि.ब. कौम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज है।
-राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जमाबन्दी के अनुसार चक 22 पीएस का मु.नं. 41 के कि.नं. 5-6 में 0.506 है., व मु.नं. 42 का कि.नं. 1 में 0.253 है., 2/2 में 0.126 है., 9/2 में 0.127 है., 10-11 में 0.506 है., 12/2 में 0.126 है., 19/2 में 0.127 है., 20 से 22 में 0.259 है., 23/1 में 0.126 है. कुल रकबा 2.150 है. नहरी सरला देवी पत्नी रमेश कुमार, शारदा देवी गर्ग पत्नी राजेश गर्ग ब.हि.ब. कौम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज है। इस तनकी को प्रामाणित करने में वादी सफल रहे है अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लॉटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।
-राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था। वादी/प्राथी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के अनुसार प्रतिवादी द्वारा बिना भूमि को रूपान्तरित करवाये व बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के कृषि भूमि का


 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर

अकृषि कार्यों में उपयोग लिया जा रहा है। अवैध रूप से प्लाट काटकर विक्रय किया जा रहा है। जिनके बैयनामा पंजीकृत करवाये हैं। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्ण्य क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबा राज घोषित किया जा सकता है।
—राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/प्रार्थी/राजपैरोकार पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/शपथ पत्र/पटवार हल्का रिपोर्ट आदि से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना भू-रूपान्तरण करवाये प्लाटों के रूप में वर्गीकृत कर विक्रय किया जा रहा है। संपरिवर्तन नहीं करवाने से संपरिवर्तन शुल्क राजकोष में जमा नहीं हुआ है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक/राजस्व हानि हुई है। यह तनकी बहक प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध विनाय दावा विनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है।
—प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित हो कि कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण किये अकृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाना वैध है जामबंदी विवादित भूमि वाके चक 22 पीएस का मु.नं. 41 के कि.नं. 5-6 में 0.506 है., व मु.नं. 42 का कि. नं. 1 में 0.253 है., 2/2 में 0.126 है, 9/2 में 0.127 है, 10-11 में 0.506 है., 12/2 में 0.126 है., 19/2 में 0.127 है., 20 से 22 में 0.259 है., 23/1 में 0.126 है. कुल रकबा 2.150 है. नहरी सरला देवी पत्नी रमेश कुमार, शारदा देवी गर्ग पत्नी राजेश गर्ग ब.हि.ब. कौम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर ई.नं. रहन फक. 141-बैयनामा दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है। तथा कृषि भूमि को अकृषि में रूपान्तरण करवाये आवासीय भूमि में प्रयोग में लिया जा रहा है। राज.काश्त. अधिनियम के विद्यिक प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का आवासीय भूमि के रूप में प्रयोग करना अवैध है तथा राज्य सरकार को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यही विनाय दावा व विनाय मुखास्मत हासिल हैं। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहे हैं अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध तथा वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकी संख्या (E) आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है।
— प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज /साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि भूमि का नियमन हो चुका है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (F) अनुतोष।


पूर्व निर्णित तनकी संख्या 1-5 बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते हैं। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णित की जाती है।

—क्रियात्मक आदेश—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार तनकीयात को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। खातेदार/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये/ बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के छोटे-छोटे भूखण्डों /प्लाटों के रूप में विक्रय किया जा रहा है यह कृषि भूमि के लिए अहितकर है तथा जिस प्रयोजन के लिए भूमि खातेदार को दी गई थी उस प्रयोजन के विपरीत है तथा राज. काश्तकारी अधि. 1956 व भू.राजस्व अधि. 1956 की धारा 90ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों का सरासर उल्लंघन है।

उपस्थित अधिकारी
नगरपालिका कार्यालय


अतः उपयुक्त वादीग्रस्त रकबा चक 22 पीएस का मु.नं. 41 के कि.नं. 5-6 में 0.506 है., व मु.नं. 42 का कि.नं. 1 में 0.253 है., 2/2 में 0.126 है, 9/2 में 0.127 है, 10-11 में 0.506 है., 12/2 में 0.126 है., 19/2 में 0.127 है., 20 से 22 में 0.259 है., 23/1 में 0.126 है. कुल रकबा 2.150 है. नहरी को रकबाराज घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा वहक सरकार लिया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।


[सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)]

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे

कलस सुनाया गया।


[सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)]

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ